"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 434]　　　　रायपुर, बुधवार, दिनांक 4 अक्टूबर 2017 —— आश्विन 12, शक 1939

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 4 अक्टूबर 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 7-02/2011/32. —— छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 85 की उप-धारा (1) सहपठित धारा 24 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ विशेष क्षेत्र (अचल संपत्ति का व्ययन) नियम, 2008 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, जिसे उक्त अधिनियम की धारा 85 की उप-धारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार पूर्व में ही प्रकाशित किया जा चुका है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,-

नियम 18 में,-

(क) उप-नियम (2) में, परंतुक में, पूर्णविराम चिन्ह "।", के स्थान पर, कोलन चिन्ह " :" प्रतिस्थापित किया जाये;

(ख) उप-नियम (2) में, परंतुक के नीचे, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"परन्तु यह और कि छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रानिक, आईटी एवं आईटीईएस निवेश नीति के क्रियान्वयन हेतु प्राधिकारी, शासन के पूर्व अनुमोदन से, विकास एवं निर्माण हेतु पृथक शर्तें निर्धारित कर सकेगा तथा अधिभार भी निर्धारित कर सकेगा."

(ग) उप-नियम (3) में, परंतुक में, पूर्णविराम चिन्ह "।", के स्थान पर, कोलन चिन्ह " :" प्रतिस्थापित किया जाये; तथा

(घ) उप-नियम (3) में, परंतुक के नीचे, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"परन्तु यह और कि छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रानिक, आईटी एवं आईटीईएस निवेश नीति के क्रियान्वयन हेतु प्राधिकारी, शासन के पूर्व अनुमोदन से, विकास एवं निर्माण हेतु पृथक शर्तें निर्धारित कर सकेगा तथा अधिभार भी निर्धारित कर सकेगा."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, अपर सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 4 अक्टूबर 2017

क्रमांक एफ 7-02/2011/32.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 4-10-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, अपर सचिव.

Naya Raipur, the 4th October 2017

NOTIFICATION

No. F 7-02/2011/32. — In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 85 read with sub-section (3) of Section 24 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Vishesh Kshetra (Achal Sampatti Ka Vyayan) Niyam, 2008, the same having been previously published as required by sub-section (1) of Section 85 of the said Adhiniyam, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,-

In rule 18, -

(a) in sub-rule (2), in proviso, for the punctuation full stop ".", the punctuation colon ":" shall be substituted;

(b) in sub-rule (2), below proviso, the following shall be added, namely :-

"Provided further that, for implementation of the Electronics, IT and ITES Investment Policy of Chhattisgarh, the Authority, with prior approval of the Government may fix different conditions for development and construction and also fix surcharges."

(c) in sub-rule (3), in proviso, for the punctuation full stop ".", the punctuation colon ":" shall be substituted; and

(d) in sub-rule (3), below proviso, the following shall be added, namely :-

"Provided further that, for implementation of the Electronics, IT and ITES Investment Policy of Chhattisgarh, the Authority, with prior approval of the Government may fix different conditions for development and construction and also fix surcharges."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
REGINA TOPPO, Additional Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.